

# Order Sheet [Contd]

Case No. 40/15 of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03/05/17	<p>आवेदक द्वारा दीपेश साहू द्वारा अनावेदक क्र-1, 2 द्वारा हृदेश शुक्ला क्र-3 द्वारा के.पी. राठौर प्रकार आवेदक साक्ष्य हेतु नियत है आवेदक साक्ष्य हेतु उपस्थित, अतिरिक्त अतिरिक्त साक्ष्य आवेदक साक्ष्य हेतु अतिरिक्त जो वाद विचार न्यायाधीन में अतिरिक्त अवसर के साथ समनिर्देशानुसार दिया जाते हैं कि आगामी दिनांक 16-05-17 तक सभी साक्ष्य उपस्थित रहे। प्रकार अतिरिक्त अवसर के साथ आवेदक साक्ष्य हेतु दि-16-05-17 को पेश हो।</p> <p>मोहम्मद अजहर द्वि. मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकरण गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)</p> <p>आवेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक क्र-1, 2 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधि०। अनावेदक क्र-3 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधि०। आवेदक को बार बार पुकार लगवायी गयीं, परंतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण मध्यांतर पश्चात पेश हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) द्वितीय सदस्य मोटरदावा दुर्घटना अधिकरण गोहद</p>	

16/5/2017  
01:30 पी.एम.

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Plea-  
necessary

पुनश्च-

04:35 पी.एम.

आवेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक क्र०-1, 2 द्वारा श्री हृदेश शुक्ला  
अधि० ।

अनावेदक क्र०-3 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधि० ।

आवेदक को बार बार पुकार लगवायी गयीं, परंतु  
कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।

पिछली दिनांक को आवेदक साक्ष्य हेतु अंतिम  
अवसर दिया गया था, परंतु आज ना तो आवेदक  
उपस्थित हैं, ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित है। यह  
प्रकरण प्रथम बार दि०-5/10/2016 को आवेदक साक्ष्य  
हेतु नियत किया गया है, परंतु कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं  
थी। दि०-4/11/16, 28/11/16, 10/12/16,  
13/1/17 को कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं थी, दि.  
-10/2/17 को आवेदक साक्षी तोताराम का मुख्य  
परीक्षण का शपथपत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया था।  
परंतु उसके बाद तोताराम अपने प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित  
नहीं रहा है। दि०-11/4/17, 18/4/17 को भी साक्षी  
उपस्थित नहीं था और आज भी कोई उपस्थित नहीं है।  
जिससे कि प्रकट होता है कि आवेदक को इस प्रकरण में  
कोई रुचि नहीं रही है।

अतः यह क्लेम याचिका आवेदक साक्ष्य के अभाव  
में निरस्त की जाती है। उभयपक्ष अपना अपना वादव्यय  
वहन करेंगे । अधिवक्ता शुल्क 1000 रुपये लगाया जावे।

व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में  
जमा किया जावे।

16.08.17  
(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय सदस्य

मोटरदावा दुर्घटना अधिकरण गोहद